

अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान
ALI YAVAR JUNG NATIONAL INSTITUTE OF SPEECH AND HEARING DISABILITIES (D)
के सी मार्ग, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई-400050
K C MARG, BANDRA (WEST), MUMBAI-400050

Ref. No.C.V.O/AYJNISHD (D)/2026/31

10.10.2026

Circular

Vigilance Awareness Week – 2026 / Preventive Vigilance Campaign
Theme: “Probity for Prosperity”

This is with reference to the Ministry’s letter regarding the Observance of Vigilance Awareness Week, 2026 and the guidelines issued by the Central Vigilance Commission. In pursuance of the above, the following activities shall be undertaken at AYJNISHD(D), Mumbai, as part of the Preventive Vigilance Campaign and Vigilance Awareness Week, 2026:

Sr. No.	Date & Time	Activity	Venue / Submission	Responsibility
1	Throughout the campaign period	Digital Banners / Awareness Displays	Institute Website / Digital platforms	IDO
2	21st October 2026	MCQ Competition on Vigilance Awareness, Integrity & Probity	Conference Hall	Mr. Deepak Bhagat – Judge
3	22 nd October 2026	Slogan Competition on Vigilance, Integrity, Transparency and Anti-Corruption	Slogans to be submitted in the Drop Box outside Room D-206	Dr. Shivraj Bhimte – Judge
4	23 rd October 2026	Poster Competition on Vigilance Awareness / <i>Probity for Prosperity</i>	Posters to be submitted at Room D-206	Shri Jay Thorat – Judge
5	26 October 2026, 11:00 a.m.	Integrity Pledge	Conference Hall. Attendance of all staff members is mandatory.	Establishment Section to make necessary arrangements
6	26 October 2026	Citizens’ Integrity Pledge	A copy of the Citizens’ Integrity Pledge shall be made available at the Reception Counter for visitors/stakeholders.	IDO / Reception

In addition to the above awareness activities, all concerned Sections/Departments shall undertake the following preventive vigilance measures during the campaign period, in accordance with the CVC guidelines:

1. Pending Complaints/Cases: Timely disposal to be ensured. Report: Establishment Section.
2. Digital Initiatives: Review and enhance digitisation. Report: ID Centre.
3. Contract Management: Review and close pending contracts. Report: Establishment Section.

Heads of Departments/SIs / RCs/ CRCs shall encourage maximum participation of staff and students and maintain the requisite records, photographs, attendance and activity details for compilation of the final compliance report.

This may be accorded priority.



(Dr. Gayatri Ahuja)

Part-Time Chief Vigilance Officer

Copy to:

1. All Heads of Departments and Section In-Charges — for circulation among all staff members and ensuring participation/compliance.
2. I/C Academic Cell — to inform students and facilitate their participation in the competitions.
3. IDO and Establishment Section — for necessary arrangements for the Integrity Pledge, Citizens’ Integrity Pledge, venue and related logistical requirements.

अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान
ALI YAVAR JUNG NATIONAL INSTITUTE OF SPEECH AND HEARING DISABILITIES (D)

के सी मार्ग, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई-400050
K C MARG, BANDRA (WEST), MUMBAI-400050

संदर्भ सं.: सी.वी.ओ./अ.या.जं.रा.वा.श्र.दि.सं./2026/31

दिनांक: 10.10.2026

परिपत्र

सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2026 एवं निवारक सतर्कता अभियान

विषय- "सत्यनिष्ठा से समृद्धि"

सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2026 के संबंध में मंत्रालय द्वारा जारी पत्र तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के संदर्भ में, अ.या.जं.रा.वा.श्र.दि.संस्थान, मुंबई में निवारक सतर्कता अभियान एवं सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2026 के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी:

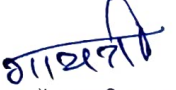
क्र. सं.	दिनांक एवं समय	गतिविधि	स्थान/प्रस्तुतीकरण संबंधी विवरण	उत्तरदायित्व
1.	अभियान के दौरान	डिजिटल बैनर एवं जागरूकता संबंधी प्रदर्शनियां	संस्थान की वेबसाइट/डिजिटल मंच	सूचना एवं प्रलेखन अधिकारी
2.	21 अक्टूबर 2026	सतर्कता जागरूकता, सत्यनिष्ठा एवं नैतिक आचरण पर बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता (एमसीक्यू)	सम्मेलन कक्ष	श्री दीपक भगत – जज
3.	22 अक्टूबर 2026	सतर्कता, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार-निरोध विषयक नारा लेखन प्रतियोगिता	नारे कक्ष सं. D-206 के बाहर रखे गए निर्धारित ड्रॉप बॉक्स में जमा किए जाएं	डॉ. शिवराज भिमटे – जज
4.	23 अक्टूबर 2026	सतर्कता जागरूकता/"समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा" विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता	पोस्टर कक्ष सं. D-206 में जमा किए जाएं	श्री जय थोरात – जज
5.	26 अक्टूबर 2026, पूर्वाह्न 11:00 बजे	सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा	सम्मेलन कक्ष - सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य है।	स्थापना अनुभाग- आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु
6.	26 अक्टूबर 2026	नागरिक सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा	आगंतुकों/हितधारकों के लिए नागरिक सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा की एक प्रति स्वागत कक्ष में उपलब्ध कराई जाएगी।	सूचना एवं प्रलेखन अधिकारी/स्वागत कक्ष

उपर्युक्त जागरूकता संबंधी गतिविधियों के अतिरिक्त, सभी अनुभागों/विभागों द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अभियान अवधि के दौरान निम्नलिखित निवारक सतर्कता संबंधी उपाय भी किए जाएंगे:

- लंबित शिकायतों/प्रकरणों का निस्तारण: लंबित शिकायतों एवं प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए- स्थापना अनुभाग।
- डिजिटल पहल: कार्यप्रणालियों के डिजिटलीकरण की समीक्षा कर उसमें आवश्यक सुधार एवं विस्तार सुनिश्चित किया जाए- सूचना एवं प्रलेखन केंद्र।
- संविदा प्रबंधन: लंबित संविदाओं की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए उनके निस्तारण/समापन की प्रक्रिया पूर्ण की जाए-स्थापना अनुभाग

सभी विभागाध्यक्षों, अनुभाग प्रभारियों तथा क्षेत्रीय केंद्रों/समेकित क्षेत्रीय केंद्रों के प्रभारियों से अनुरोध है कि वे अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करें। साथ ही, आयोजित गतिविधियों से संबंधित आवश्यक अभिलेख, छायाचित्र, उपस्थिति विवरण तथा अन्य गतिविधि संबंधी विवरण सुव्यवस्थित रूप से संधारित करें, ताकि अंतिम अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत किया जा सके।

प्राथमिकता से कार्रवाई की जाए।


(डॉ. गायत्री आहुजा)

मुख्य सतर्कता अधिकारी-अंशकालिक

प्रतिलिपि:

- सभी विभागाध्यक्ष एवं अनुभाग प्रभारी — सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच परिपत्र का प्रसार करने तथा उनकी सहभागिता एवं अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु।
- प्रभारी, शैक्षणिक प्रकोष्ठ — विद्यार्थियों को सूचित करने तथा प्रतियोगिताओं में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु।
- सूचना एवं प्रलेखन अधिकारी तथा स्थापना अनुभाग — सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा एवं नागरिक सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा के आयोजन, आयोजन स्थल तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने हेतु।